



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2025/1035
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 06.03.2025

परियोजना निदेशक प.का.ई.
प्लॉट नं. 1940/1941, आर.पी.नगर फेस - I
दशहरा मैदान, निहारिका, कोरबा (छ.ग.)

संशोधित

विषय : Diversion of 83.6241 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with Paved Shoulder Configuratuin of Bilaspur - Kaghora Section of NH -111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh- regarding.

संदर्भ : 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्र./ F. No.FC-III/CH-42/2019-NGP/12 दिनांक 09.04.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-778/628 दिनांक 04.03.2025
3. कार्यालयीन पत्र क्र./तक.अधि./76 दिनांक 08.01.2025

----- ::000:: -----

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकर एन.एच. 111 (नया -130) पथरपाली से कटघोरा मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.04.2024 से अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी किया गया है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक - पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें एवं वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि निम्नानुसार ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

शर्त क्र. ii एवं iii के पालन हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि निम्नानुसार **Ad-hoc Campa** में जमा करें।

क्र	विवरण	अघतन दर वर्ष 2024-25 अनुसार राशि (सिंचित)	पूर्व में जमा	अंतर की राशि
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	83.6241 X 2 X 1169680 = 19,56,26,874	14,69,75,544	4,86,51,330/-
कुल योग :-				4,86,51,330/-

उपरोक्त राशि 4,86,51,330/- (चार करोड़ छियासी लाख इक्यावन हजार तीन सौ तीस रुपये) का ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी

कटघोरा वनमंडल कटघोरा

कटघोरा, दिनांक 06.03.2025

क्रमांक/तक.अधि./2025/1036
प्रतिलिपि,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर -19 अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

कटघोरा वनमंडल कटघोरा



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-778/628
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 04/03/2025

वन मंडलाधिकारी
कटघोरा वन मंडल, कटघोरा
छत्तीसगढ़

विषय:-

Diversion of 83.6241 ha. Of Forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh - regarding.

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/F. No. FC-III/CH-42/ 2019-NGP/ 12 दिनांक 09.04.2024
2. कार्यालयीन पत्र क्र/भू-प्रबंध/विविध/115-778/1002 दि. 19.04.2024 एवं पत्र दिनांक 06.02.2025
3. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल का पत्र क्रमांक/तक.अधि./2024/76 दिनांक 08.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 632 दिनांक 10.02.2025

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.04.2024 से अंतिम (औपचारिक) स्वीकृति जारी किया गया है।

संदर्भित पत्र-2 द्वारा उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार अंतर की राशि लिये जाने हेतु लेख किया गया था।

संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से राशि रुपये 19,56,25,637/- (11,69,674 के मान से) लिया गया था जिसे इस कार्यालय के पत्र दिनांक 06.02.2025 से अमान्य किया गया। जिसका आपके द्वारा अनुसरण नहीं किया गया तथा पुनः संदर्भित पत्र -3, दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से प्रकरण में प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) रायपुर द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 1,95,62,664 कम वसूल का आपत्ति उठाया जाकर आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी किया गया है। जारी मांग पत्र अनुसार मात्र लेखा परीक्षा द्वारा उठाया गया कम वसूली की राशि का ही जिक्र है, जबकि प्रस्तावित रकबा 83.6241 का दुगुना 167.2482 हे. का वर्तमान प्रचलित दर 11,69,680/- के मान से रुपये 19,56,26,874.576 रुपये होगा। पूर्व में जमा राशि 14,69,75,544/- रुपये है। तदनुसार वर्तमान में अंतर की राशि 4,86,51,330.576 रुपये लिया जाना होगा।

अतः उक्त अंतर की राशि हेतु आवेदक संस्थान को संशोधित मांग पत्र जारी करते हुए भविष्य में राशियों का गणना सूक्ष्मता से करना सुनिश्चित करें ताकि स्वयं एवं उच्च कार्यालयों का अनावश्यक समय व्यर्थ न हो साथ ही बारंबार राशि अमान्य किये जाने की आवश्यकता न पड़े।

प्रेषित मांग पत्र को अमान्य किया जाता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-778/629
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

नवा रायपुर दिनांक ०५/03/2025

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टेण्ड, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़